न्यायालयः– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :– श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :– 04/2024
प्रकरण दर्ज तिथि :– 02.05.2024
जीसीएमएस नम्बर :– 2024/110

1. विनोद पुत्र लीलाधर उर्फ लीलाराम
2. हरिश कुमार पुत्र पुत्र लीलाधर उर्फ लीलाराम
3. कविता देवी पत्नी लीलाधर उर्फ लीलाराम समस्त जातिगण सिंधी निवासीगण कुशालपुरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज.।
4. विनिता फुलवानी पुत्री लीलाधर उर्फ लीलाराम पत्नी विजय फुलवानी जाति सिंधी निवासी कुशालपुरा हाल निवासी बंगला नं. 08, नीचम, मध्यप्रदेश।
5. राधा जेठानी पुत्री लीलाधर उर्फ लीलाराम पत्नी महेश कुमार जेठानी जाति सिंधी निवासी कुशालपुरा हाल निवासी सिंधु नगर, भीलवाड़ा, राज.।

................अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच, कार्यालय ग्राम पंचायत कुशालपुरा, पंचायत समिति रायपुर जिला ब्यावर।
2. जेसिअम्मा पुत्री के.अजॉन नीमाज रोड़, कुशालपुरा।
3. श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय रायपुर जिला ब्यावर राज.।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः– 1 श्री भूपैन्द्र सैन अधिवक्ता अपीलान्ट
2 रेस्पोडेन्ट की ओर श्री जसवंत सिंह सांखला उपस्थित

निर्णय

दिनांक :– 17.04.2025

अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता श्री भूपैन्द्र सैन ने अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर. एक्ट विरूद्व अपील के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट न्यायालय में पेश किया गया है। अपील का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा कुशालपुरा तहसील रायपुर जिला पाली निम्न लिखित काश्त भूमिया स्थित है– खसरा नम्बर 261 रकबा 4.1763 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 269 रकबा 11.6226 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि आयी हुई है। उक्त आराजी को आगे अपील मे वादग्रस्त आराजी से संबोधित किया जायेगा। खसरा नम्बरान की आराजी संवत 2075 से 2068 मे अपीलान्ट के पिता लीलाधर उर्फ लीलाराम पुत्र नारायणलाल जाति सिंधी के नाम खातेदारी दर्ज चली आ रही थी। जमाबन्दी की नकल साथ पेश है । लीलाधर उर्फ लीलाराम पुत्र नारायणलाल जी कि मृत्य पश्चात तथा पूर्व से ही अपीलान्ट के परिवार कि सामलाती उपरोक्त आराजी का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उपरोक्त विवादग्रस्त आराजीयात को शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करते आ रहे है। लीलाधर उर्फ लीलाराम पुत्र नारायणलाल की मृत्यु हो चुकि हैं ओर इनकी मृत्यु पश्चात उनका फौतेदगी दाखिल का नामान्तरण हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र अपीलान्ट ने प्रस्तुत किया जिसके आवेदन क्रमांक 2024/38799/21 जो दिनांक 15.01.2024 को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् दिनांक 25.02.2024 को उक्त ऑनलाईन आवेदन के नामान्तरण को हल्का पटवारी द्वारा दर्ज कर दिया गया। तथा रेस्पॉडेन्ट संख्या 01 द्वारा उक्त नामान्तरण को दिनांक 16.03.2024 को बिना किसी कारण के निरस्त होकर जमाबंदी मे दर्ज हो गया। जो अपीलान्ट के हिस्से तक अवैध प्रभावशुन्य व अपीलान्ट के हितो के प्रति बेअसर है काबिले निरस्त है। व अधीनस्थ सरपचं कुशालपुरा का उक्त नामान्तकरण

गुलाब सिंह
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

आदेश कानून के विरूद्ध ही नही बल्कि कानूनी प्रोसिजर एंव कानून सम प्रभावशील परिपाठियो के भी विरूद्ध है। एंव अधीनस्थ सरपचं कुषालपुरा का उक्त आदेश सर्वथा पत्रावली पर उपस्थित तथ्यो के भी विरूद्ध है। लीलाधर उर्फ लीलाराम पुत्र नारायणलाल जी के अपीलान्ट दो पुत्र विनोद व हरिश हैं तथा दो पुत्रीया राधा जेठानी व विनिता फुलवानी हैं तथा पत्नी कविता देवी है इनके अलावा लीलाधर उर्फ लीलाराम पुत्र नारायणलाल के कोई जाईन्दा वारिस नही है। लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलान्ट को बिना सुचित व नोटिस दिये नामान्तरण संख्या 4528 को निरस्त कर दिया गया जो सर्वथा कानून गलत व अवैध होने से काबिले निरस्त है। तथा नामान्तरण आवेदन करते वक्त तथा नामान्तरण संख्या 4528 मे बनायी गयी वंशावली सही व सत्य है। लीलाधर उर्फ लीलाराम पुत्र नारायणलाल का वंश वृक्ष उपरोक्त वंशावली के अनुसार चला आ रहा है जिसके अनुसार नामान्तरण खोला जाना कानूनन आवश्यक है। अपीलान्ट यह सोचते रहे हैं कि हमारे द्वारा ऑनलाईन आवेदन कर दिया गया हैं जो कि 45 दिनों तक के भीतर भीतर जमाबदी मे नाम हो गया होगा मगर रेसपोडन्ट संख्या 01 द्वारा उक्त नामान्तरण को बिना जांच किये ही निरस्त कर दिया जिसकी जानकारी अपीलान्ट को उनके मोबाईल मैसेज/संदेष आने व उसके पश्चात् दिनांक 16.03.2024 को जमाबंदी नकले प्राप्त करने पर हुई । उक्त आराजी अपीलान्ट संख्या 01 से लगायत 05 अर्थात उपरोक्त वंशावली अनुसार का कब्जा काश्त चला आ रहा है। लीलाधर उर्फ लीलाराम पुत्र नारायणलाल के उपरोक्त वंशावली अनुसार उत्तराधिकारी है फिर भी सरपंच ने बिना जॉच किये उक्त नामान्तरण करण संख्या 4528 को अस्वीकृत कर निरस्त कर जमाबंदी मे दर्ज कर दिया। जबकि मौके पर अपीलान्ट का शामिल कब्जा काश्त चला आ रहा है रेकर्ड मे नाम नही होने से अपीलान्ट को भारी परेशानियो का सामना करना पड रहा है। अपीलान्ट समझते रहे कि उनके द्वारा भरा गया ऑनलाईन विरासत का नामान्तरण भर दिया तो उनका नामान्तरण हो जायेगा परन्तु अपीलान्ट के नाम से नामान्तरण नही भरके निरस्त कर दिया जिसकी जानकारी मोबाईल मैसेज/संदेश आने व जमाबदी नकले प्राप्त करन पर दिनांक 16.03.2024 को प्राप्त होने पर प्रथम बार जानकारी हुई। श्रीमान से निवेदन है, कि अपीलार्थी की अपील मय हर्जे व खर्चे के स्वीकार की जावे तथा अधिनस्थ सरपचं कार्यालय ग्राम पचांयत कुशालपुरा का दाखिल खारीज/निरस्त प्रविष्टि संख्या 4528 को निरस्त किया जावे। इस प्रकार उपरोक्त पद संख्या एक वर्णित खसरान के रेकर्ड मे अपीलार्थी संख्या 1 से 05 अर्थात वंशावली अनुसार नाम बतौर उक्त जमाबंदी मे दर्ज कर कायम रखे जाने की आज्ञा प्रदान करे। उक्त नामान्तरण संख्या 4528 की पश्चावर्ती कार्यवाही उक्त नामान्तरण निरस्त होने से स्वतः अवैध व प्रभाावशुन्य चली आ रही है उनके प्रभाव हिन मानी जावे। तथा इस अपील की देरी समाप्त कर इसे अन्दर मियाद माना जाकर निस्तारण करने की कृपा करे।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर्ड की गयी। रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये नोटिस तलबी की गई। नोटिस तामिल सुदा प्राप्त हुए हैं जो संलग्न किये गये हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से श्री जसवंत सिंह सांखला ने वकालतनामा मय जबाव पेश किया है जो संलग्न पत्रावली किया गया। अपीलान्ट अधिवक्ता ने बताया कि अपीलान्ट के स्वर्गीय पिता लीलाधर उर्फ लीलाराम पुत्र नारायणलाल की खातेदारी जमीन सरहद मौजा कुशालपुरा के खसरा नम्बर 261 की खातेदारी जमीन आयी हुयी है। फोतेदगी दाखिल का नामान्तरण हेतु ऑनलाईन आवेदन दिनांक 15.01.2024 को किया जिस पर हल्का

1 लाब । 26

...जि कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

पटवारी द्वारा दिनांक 25.02.2024 को दर्ज किया इस पर दिनांक 16.03.2024 को सरपंच द्वारा बिना किसी कारण से निरस्त कर दिया । अतः उक्त नामान्तरकण को निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया हैं। इस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने भी कोई आपत्ति नहीं की हैं।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया हैं। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 4528 दिनांक 25.02.2024 को निरस्त करने में अपनी सहमति प्रदान की।

वकील अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की अपील पर बहस सुनी एंव दिये गये तर्को का मनन व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गहनतापूर्वक अवलोकन करने के पश्चात् ग्राम पंचायत कुशालपुरा द्वारा जारी नामान्तकरण संख्या 4528 दिनांक 25.02.2024 को निरस्त (रद्व) किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अपीलार्थी की अपील, अपीलान्ट विरूद्ध रेस्पोडेन्ट स्वीकार कर ग्राम पंचायत कुशालपुरा द्वारा जारी नामान्तकरण संख्या 4528 दिनांक 25.02.2024 को अपास्त/निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं साथ ही तहसीलदार रायपुर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती हैं कि उक्त नामान्तरकरण के संबंध में विस्तृत जांच कर नियमानुसार गुण–अवगुण के आधार पर पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रायपुर को आदेश, तहरीर के साथ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

गुलाब सिंह

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 17.04.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

गुलाब सिंह

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)